## .. V. The Central Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules 1990.

Papers laid

खाद्य श्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंद्री (श्री सरवर हसैन) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर एखना हूं:-

- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के ग्रधीन निम्नलिखित पत्नों की एक-एक प्रति (श्रंग्रेजी तथा हिन्दी में):- -
- (i) 1989-90 के वर्ष के लिये हिन्द्रतान वेजीटेबल बुधायल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का छटा वार्षिक प्रतिबेदन ग्रीर लेंखे, तेखाम्रों पर लेखा **५रीक्षकों के प्रतिबंदन ग्रीए उन पर भारत** के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्प-णियों सहित ।
- (ii) कारभोरेशन के कार्यकरण की सरकार इारा समीक्षा । पुस्तकालय में रस्की गई (i) ग्रीर (ii) के लिये। देखिये ए० एल०टी० 1647/91]
- भारतीय मानक ब्यरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन निम्न-लिखित पन्नों की एक-एक प्रति (ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी में):--
- (i) 1989-90 कें वर्ष के लिये भारतीय मानक न्युरो, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन ग्रौरे लेंखे, लेखाम्रों पर सद्धापरीक्षकों के प्रतिवेदन अहित ।
- (ii) क्यरो के कार्धकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । प्रितकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये स**्** एल०टी० 1948/91]
- III. भारतीय मानक ब्युरो ग्रधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यरो की निम्बलिखित ग्रधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में ):---
- (1) भारतीय मानक ब्युरी (कर्म-चारियों की सेवा की शर्ते ग्रौर निबंधन (स्शोधन) विनियमन, 1990 को प्रका-भित करने वाली सा का नि स 724 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990।
- (2) भारतीय मानक ब्युरी (प्रशासन, विन, और अन्य मद्दों पर भति ) इसरा संशोधन विनिधमन, 1990 को प्रकाशित'

- करने वाली साका नि सं 725(%) दिनांक 22 ग्रगस्त, 1990।
- (3) भारतीय मानक ब्युरी (प्रयोग-शाला तकनीकी पदों पर भती) संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली साब्कानि सं 726(ग्रा), दिनांक 22 श्रगस्त, 1990 ।
- (4) भारतीय मानक व्यरो (कर्म-चारियों की सेवा की शत ग्रौर निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा का नि० सं० 808(ग्र), दिनांक 21 सितम्बर, 1990।
- (5) चित्रा जे शिरुर ग्रध्यक्ष, भारतीय उपभोक्ता मार्गेदर्शन शमिति, वम्बई का भारतीय मानक ब्युरो की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये भारतीय मानक ब्यरो की श्रधिसचना सं का आ 376 (अ), दिनांक 26 मई, 1989 को संशोधित करने वाली अधि-सूचना सा०का०नि० सं० 850(क्रा, दिनांक 7 नवम्बर, 1990 । पुस्तकालय में रखी गई (1) से (5) के लिये देखिये संब Um celo 1645/91]
- IV. ग्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के ग्रधीन खाछ ग्रीर नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पुर्ति विभाग), की निम्नलिखित ग्रिध-सूचनाग्रों की एक-एक प्रति (ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी में)--
- (1) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य गंत्रालय द्वारा जारी का आ, संव 2511 दिनांक 17 अगरत, 1976 की निरस्त करने वालो का ग्रां सं 616 (अ) दिनांक 7 रागस्त, 1990 ।
- (2) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मन्नालय के का०ग्राः संः 1837, दिनांक 14 जून, 1986 के आदेश में कतिपय अंशोधन करने वाली का०ग्रा० सं 617(छ), दिनांक 7 अगस्त, 1990।
- (3) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंतालय के का आठ सं० 2878 दिनांक 22 अगस्त, 1968 के आदश में कतिपय संगोधन करने वाली का आ । 618(ग्र), दिनांक 7 ग्रगस्त, 1990 ।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का आ मं 84, दिनांक 5 जनवरी, 1967 के झाउँ से कतिथय संशोधन करने वाली का आ सं० 619(इ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

Papers laid

- (5) भारत सरकार के तत्कालींन वाणिज्य मंत्रालय के का०ग्रा सं 2135 दिनांक 15 जुलाई, 1966 के ग्राटेश में कतिपय संशोधन करने वाली का० ग्रा० सं० 620 (ग्र) दिनांक 7 ग्रगस्त, 1980।
- (6) सीमेंट के खुदर वितरण के लिये अवश्यक खाइसेंस को समाप्त करने के बारे में पूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और पहकारिता विभाग) हारा जारी का० अ० स० 681 (अ) दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के अदेश में सशोधन करने वाली का० आ० सं 624(अ) दिनांक 7 अगम्त 1990।
- (7) दाल, खाने योग्य तिलहन शौर खाने योग्य तेल (भंडारण नियंण) चौथा सशोधन आदेण, 1990 को प्रकाणित करने वाली का० आ० सं० 711 (ग्र) दिनांक 13 सितम्बर, 1990 ' [पुस्त-कालय में रखी गई (1) मे (7) के लिटे देखिये सं० एल०टी०1691/44]
- V. केन्द्रीय मंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय भाँडागारण निगम (इसरा संगोधन) नियम, 1990 को प्रका- शित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंद्रालय (खाद्य विभाग), अधिसूरना साठकाठ मं नि० 836(अ) दिनांक 11 अन्तूबर, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी) । [प्रस्तालय में रखी गई। देखिये संठ एळ ठटीठ 1646/91]
  - I. Report and Account! (1989-90) of the National Federation of State Cooperative Banks limited, Bombay and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Institute of Tourism and Travel fianagement, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHAND-BHAI SHAH): Madam, on behalf of Shri Devi Lal, lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers: —

(i) (a) Twenty-seventh Annual Report of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90.

(b)Annual Accounts of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90 and the Auditors' Report thereon.

- (c)Review by Government on the working of the Federation [Placed in Library See No. LT-1650/91 for (a) to (c)]
  - (ii) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, '-New Delhi, or the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts'. ?
- (b) Review by Government on theworking of the Institute. [Placed in Library. See No. LT-1573/90 for (a) and (b)]
- I. Report and Accounts (1988-89) of the
- . Rajasthan State Dairy Development
- , Corporation limited Jaipur and relat ed papers.
- II. Report and Accounts (1989-90) of the National Dairy Development Board,

Anand and related papers.